

04/05/2022

पशावली में वकील वारी द्वारा एक प्रार्थना पत्र
द्वारा 152-151 CPC का प्रस्तुत किया
जिसका मन्त्र किया जाकर सिंगे से पशावली
तलब की गई पशावली को डेटवने से

यह पत्नी हुआ की उच्च पत्रावली के प्रतिवादी
से - 32 का आदेश एवं डिडी से फर्कवाड़े
अनुसार नाम अंकित नहीं किया, जिसके
निर्णय एवं डिडी प्रतिवादी से (ज्या) 32 का
नाम जोड़ते हुए पूना संशाक्षित आदेश एवं
डिडी जारी किए जाने का आदेश दिया
जाता है। पत्रावली फसल शुमार होकर
नम्बर से काम होना।